UPMB010010612026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी(सी०ए०डब्लू०) महोबा
उपस्थित–अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP–2700
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-464/2026

चन्द्रप्रकाश कपाड़िया उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल उर्फ कटई कपाटिया निवासी गोबिन्दनगर कुलपहाड़ थाना कुलपहाड़ जिला महोबा (उ०प्र०) ....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश। .....प्रतिपक्षी।

मु०अ०सं०–243/2019
धारा–323, 504, 308 भा०दं०सं०
थाना–कुलपहाड़, जिला महोबा।
सत्र वाद संख्या–723/2020

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक /अभियुक्त चन्द्रप्रकाश कपाड़िया, जो मु0 अ 0 सं0–243/2019, अन्तर्गत धारा 323, 504, 308 भा०दं०सं०, थाना कुलपहाड़, जिला महोबा के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता श्याम सिंह द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है। उसको झूठा एवं मुहल्ले की पार्टीबन्दी के कारण फर्जी फॅसाया गया है। वह अनपढ़ गरीब व्यक्ति है कानूनी कार्यवाही के बारे में जानकरी नहीं रखता है। वह पूर्व में इस प्रकरण में जमानत पर था। वह मजदूरी करने दिल्ली चला गया था जिस कारण तारीख पेशी की जानकारी न मिलने के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका जिस कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। उसकी पत्नी को कैंसर है जिस कारण वह दिल्ली में रहकर उसका इलाज भी कराता रहा है और मजदूरी भी करता रहा है। उसको वकील साहब द्वारा एन०बी०डब्लू० की जानकारी हुयी तो वह अपने घर कुलपहाड़ आया कि न्यायालय आकर अपना एन०बी०डब्लू० न्यायालय में हाजिर होकर

रिकाल करा लेगा उसी समय थाना पुलिस कुलपहाड़ उसको थाना पकड़ लायी और न्यायालय में हाजिर कर दिया। वह अब ऐसी गल्ती नहीं करेगा। वह दिनांक 04.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

5. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उसने जमानत का दुरूपयोग किया है। अगर अभियुक्त को जमानत दी गयी तो वह पुनः उपस्थित नहीं होगा। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

6. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। न्यायालय उपस्थित न होने पर उसके विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया जिस पर उसे जेल भेजा गया। अभियुक्त की पत्नी को कैंसर की बीमारी होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः आवेदक/अभियुक्त को एक मौका जमानत पर रिहा करने का दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त चन्द्रप्रकाश कपाड़िया की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता हैः–

1. अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पचास हजार रुपये का स्व–बन्धपत्र तथा समान धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करेगा।

2. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त विचारण में सहयोग करेगा। विचारण के दौरान नियत तिथियों पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा ।

3. अभियुक्त ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा जिसके करने का उस पर अभियोग या संदेह है।

4. अभियुक्त प्रकरण के तथ्य से अवगत किसी व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा, या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

5. अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष अपने अस्थायी एवं स्थायी पता एवं अपना मोबाइल नम्बर यदि हो, प्रमाण सहित प्रस्तुत करेगा। विचारण के दौरान पते में परिवर्तन होने पर अभियुक्त इसकी जानकारी न्यायालय को देगा।

6. जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अभियोजन पक्ष को जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का तथा न्यायालय को धारा 269 बी०एन०एस० के प्राविधान के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

तदनुसार अभियुक्त की ओर से जमानत, बन्धपत्र एवं अण्डरटेकिंग सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर सत्यापन उपरान्त अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 09.06.2026

(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP-2700

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.06.10 09:55:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court